

फर्स्ट
न्यूज

- निजी विश्वविद्यालयों के एक्ट में संशोधन के लिए सरकार ने प्रारंभिक परीक्षण शुरू किया
- विधानसभा में भी उठ चुका है विधायकों को इन यूनिवर्सिटी के बोर्ड में शामिल करने का मुद्दा

नियामक आयोग नहीं बना तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बोर्ड में विधायक बिठाकर सरकारी दखल की तैयारी

विनोद मित्तल | जयपुर

निजी विश्वविद्यालयों पर अंकुश लगाने के लिए नियामक आयोग बनाने में नाकाम रही सरकार अब इन पर लगाम के लिए दूसरा रास्ता निकालने की तैयारी कर रही है। सरकार अब इन विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में विधायकों को शामिल कराना चाहती है। उच्च शिक्षा विभाग अब यह परीक्षण कर रहा है कि विधायकों को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में शामिल कराया जा सकता है या नहीं। अगर हां, तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? गौरतलब है कि जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्रियां बांटने का मामला सामने आया था। विवि ने 25 हजार

से अधिक डिग्रियां फर्जी तरीके से बांटकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। ऐसी ही और शिकायतों के बाद सरकार ने एक नियामक आयोग बनाने का एलान किया था। सरकार अब तक इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकी है। इस बीच सरकार ने विधायकों की मांग के आधार पर इन विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में विधायकों को शामिल कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस तैयारी के बीच एक सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई घपला-घोटाला होता है, तब विधायक भी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। ऐसे में क्या वे भी प्रबंधकों के साथ जेल जाएंगे।

अगर धांधलियां हुईं तो क्या प्रबंधकों के साथ विधायक भी जेल जाएंगे?

यह तैयारी : प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, वह एक्ट में लिखा रहता है। इसमें संशोधन एक्ट के जरिए ही बदलाव हो सकता है। सरकार अभी इस मामले का परीक्षण कर रही है कि एमएलए को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में शामिल किया जा सकता है या नहीं। परीक्षण के बाद संशोधन एक्ट बनेगा, जो कैबिनेट में पास होगा। इसके बाद विधानसभा में जाएगा।

अभी यह है व्यवस्था : किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई अनियमितता होती है तो वहां प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। जेएनयू जोधपुर के मामले में भी प्रशासक नियुक्त किया गया था।

विधायक लगातार विधानसभा में उठाते रहे हैं मुद्दा

• एक बार यूनिवर्सिटी बन जाती है तो किसी की नहीं सुनते

गंगापुर सिटी के विधायक मानसिंह ने विधानसभा में कहा था कि एक बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन जाती है तो ये किसी की नहीं सुनते। जिस प्रकार सरकारी विवि के सिंडिकेट में जनप्रतिनिधि मੈबर होता है। उसी प्रकार इन प्राइवेट विवि में भी जनप्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाए।

• विधानसभा में उनकी कोई रिपोर्ट तक नहीं आती

विराटनगर विधायक फूलचंद भिंडा ने कहा था कि विधेयक पारित होने के बाद निजी विश्वविद्यालय की सदन के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रहती। उसकी कोई रिपोर्ट सदन में नहीं आती। प्राइवेट विवि में न कोई विधायक है और न ही कोई सरकारी अफसर। मनमानी चलती रहती है।

• दो एमएलए और दो शिक्षाविदों को किया जाए शामिल

जायल विधायक मंजू बाघमार ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए दो-दो विधायक और दो-दो शिक्षाविद को यहां लगाया जाना चाहिए।

अफसरों की पूरी तैयारी, मंत्री बोलीं- मुझे पता नहीं

समय समय पर यह बात सामने आती है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में विधायकों को रखा जाए। फिलहाल इसका प्रारंभिक परीक्षण कराया जा रहा है कि ऐसा किया जा सकता है या नहीं।

-राजहंस उपाध्याय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

उधर, मंत्री को पता ही नहीं - उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी का कहना है कि फिलहाल निजी विश्वविद्यालयों में विधायकों को शामिल किए जाने के संबंध में किसी प्रकार की कवायद नहीं चल रही है और न ही फिलहाल ऐसा कोई प्रयास है।